

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर
रोहित कुमार यादव बनाम यशपाल वगैरा

किस्म मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु0 नं0 2/25/24 सन् 2024


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
इहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए


09.04.2024

प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री रवि गुप्ता विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06-05-2024 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
अलवर

6.5.24
प्रार्थनी पेश हुई। उभय पक्ष अज
प्रतिपक्षी अधिकारी अजय प्रसाद यादव
में जला है। दिनांक 10.6.24
को पेश हुई।

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी और वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रा.पत्र प्रस्तुत किया कि वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं नाही प्रकरण में कोई भी कार्यवाही चाहते हैं वाद को इली स्तर पर नोट प्रेस करना चाहते हैं, प्रार्थी/वकील प्रार्थी को सुना गया काफी मनन करने के उपरान्त प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रा.पत्र प्रार्थी नोट प्रेस में इली स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो वाद तकमिल पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
अलवर